मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक दिनांक 25 मई, 1995 का कार्यवाही विवरण.

.....

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक दिनांक 25 मई, 1995 को परिषद् सभा कक्ष में अपरान्ह 3.00 बजे माननीय डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. श्री अरूण कुमार,
   प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
   विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भोपाल.

2. श्री बी.के. स्थापक,
   प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश शासन,
   तकनीकी शिक्षा विभाग, भोपाल.

3. श्री ओ.एल. लोखण्डे,
   अतिरिक्त उद्योग संचालक,
   उद्योग संचालनालय, भोपाल.

4. श्री एस. चटर्जी,
   पी.एस.ओ., भारत सरकार,
   विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
   नई दिल्ली.

5. डॉ. राम प्रसाद,
   महानिदेशक,
   मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
   भोपाल.

6. श्री के.एम. जौहरी,
   समिति के मनोनीत सदस्य सचिव एवं कार्यकारी संचालक,
   मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
   भोपाल.

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

प्रारंभ में श्री के.एम. जौहरी, कार्यकारी संचालक ने परिषद् की ओर से माननीय मंत्री महोदया डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, जो कार्यकारी समिति की अध्यक्षा है, का एवं बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया तथा बैठक को सफल बनाने हेतु आभार व्यक्त

किया । इसके पश्चात् महानिदेशक डॉ. राम प्रसाद ने अध्यक्ष महोदया का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि उनके मार्गदर्शन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उत्तरोत्तर प्रगति करेगा ।

बैठक के प्रारंभ में महानिदेशक महोदय ने परिषद् द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी ।

माननीय मंत्री महोदया द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि परिषद् को अनुसंधान कार्यों द्वारा अधिकाधिक धन उपार्जित करने का प्रयास करना चाहिये ताकि उसका उपयोग अनुसंधान संबंधी अन्य उपयोगी गतिविधियों में किया जा सके । मंत्री जी द्वारा चलित प्रयोगशाला को क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ाने जाने हेतु सुझाव दिया एवं इसे सर्वसम्मती से स्वीकार किया गया । उनके अनुसार अंततः संभागीय स्तर पर एक-एक चलित प्रयोगशाला होना आवश्यक है ताकि उसका अधिकाधिक उपयोग हो ।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री अरूण कुमार ने सुझाव दिया कि हमारे द्वारा जो परियोजनायें बनाई जाती है, उनसे होने वाले विभागीय व्ययों को सही प्रकार जोड़ा जाये ताकि परिषद् पर पड़ने वाले आर्थिक भार की पूर्ति हो सके । भारत शासन की उन योजनाओं पर भी विचार व्यक्त किया गया, जिसमें स्वीकृति उपरान्त राशि मिलने की भी संभावना है । उन्होंने परिषद् के पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केन्द्र के उपयोग को बढ़ाये जाने के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने का सुझाव भी दिया ।

उन्होंने यह भी बताया कि अब, जबकि परिषद् में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, तो परिषद् की प्रस्तावित तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए **मध्य स्तर (मिडिल लेवल)** के विशेषज्ञों की नियुक्ति के बारे में कार्यवाही की जावे ।

परिषद् के भवन एवं परिसर में कार्यालय निर्माण हेतु मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने तथा निर्माण खण्डों में किये जाने का सुझाव भी दिया ।

भारत शासन से आये वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. चटर्जी ने संसाधन मानचित्रण और एक्वाकल्चर परियोजना पर प्रकाश डाला, जिसमें परिषद् भागीदारी कर सकता है ।

परिषद् की ओर से समिति के सचिव श्री के.एम. जौहरी, कार्यकारी संचालक द्वारा कार्यसूची समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

विभिन्न कार्यसूचियों पर विचार विमर्श एवं चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्यसूची क्रमांक :1: दिनांक 21.12.1994 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 27वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सत्यापन :

दिनांक 21.12.1994 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 27वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सत्यापन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक :2: कार्यकारी समिति की 27वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का प्रगति प्रतिवेदन :

कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णयों के प्रगति प्रतिवेदन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई ।

कार्यसूची क्रमांक :3: रायपुर प्रकोष्ठ को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में सम्मिलन करने बाबत् :

रायपुर प्रकोष्ठ को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में संविलियन करने के संबंध में समिति का निर्णय है कि उच्च अधिकारियों को भेजकर प्रकोष्ठ के बारे में मूल्यांकन कराया जाये एवं यह परीक्षण किया जाये कि प्रकोष्ठ की गतिविधियां वर्तमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में परिषद् के लिये उपयोगी होगी अथवा प्रकोष्ठ को बंद कर उपयुक्त कार्यरत् कर्मचारियों को भोपाल या अन्यथा स्थानांतरित कर दिया जाए । दैनिक वेतन पर कार्यरत् कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाए ।

कार्यसूची क्रमांक :4: खनोलीय वैद्यशाला परियोजना की स्थापना हेतु शासकीय भूमि आवंटन बाबत् :

प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पचमढ़ी में प्रस्तावित भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे ।

कार्यसूची क्रमांक :5: डॉ. एन.पी. शुक्ला, माइक्रोबायलॉजिस्ट, जीवाणु खाद्य संयंत्र, द एम.पी. एग्रोइंडस्ट्रीज़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवायें मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल में परियोजना संचालक के पद पर संविलियन आधार पर लेने बाबत् :

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव अनुसार डॉ. एन.पी. शुक्ला की सेवायें परियोजना संचालक के पद पर संविलियन के आधार पर लेने की पुष्टि की ।

कार्यसूची क्रमांक :6: डॉ. एम.पी. अग्निहोत्री, संयुक्त संचालक के सेविलियन बाबत् :

कार्यकारी समिति द्वारा परिषद् के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से वापस लिया गया ।

कार्यसूची क्रमांक :7: वर्ष 1994-95 का बजट पुर्नविनियोजन के संबंध में :

कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 1994-95 के बजट पुर्नविनियोजन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1995-96 के बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग पर लगातार दबाव रखा जाये । लेखा परीक्षण के बारे में अद्यतन स्थिति बताई गई एवं उसे उन्नयन (अपडेट) करवाने हेतु निर्णय लिया गया ।

कार्यसूची क्रमांक :8: परिषद् के संकलित कोष में जमा धनराशि के संबंध में :

परिषद् के संकलित कोष में जमा धनराशि के संबंध में समिति द्वारा इस बारे में सहमति व्यक्त की गई कि बचत का उपयोग परिषद् के लिये बनाये जाने वाले परिसर/भवन/कार्यालय निर्माण में व्यय किया जाए । विगत बचत के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

कार्यसूची क्रमांक :9: मानचित्रकारों के वेतनमान में विसंगतियाँ दूर करने बाबत् :

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद् में कार्यरत् कार्टोग्राफर/मानचित्रकार/ड्राफ्टमेन के कर्मचारियों के लिये (सभी के लिए) राज्य शासन के प्रारूपकार (मानचित्रकार/ड्राफ्टमेन) का वेतनमान रूपये 1600-50-2300-60-2720/- देने हेतु स्वीकृति दी जाती है । पदोन्नति की पात्रता भी राज्य शासन के प्रावधान अनुसार 12 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त वेतनमान रूपये 2000-2900/- पर किये जाने की पात्रता है । अतः राज्य शासन के इस श्रेणी के लिये लागू यह आदेश परिषद् के कार्टोग्राफर/मानचित्रकार (ड्राफ्टमेन) के लिये भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

उपरोक्त दोनों वेतनमान दिनांक 1 जून, 1995 से प्रभावशील होंगे ।

कार्यसूची क्रमांक :10: तकनीकी सहायकों के वेतनमान में विसंगति दूर करने बाबत् :

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद् में कार्यरत् 3 तकनीकी सहायक ग्रेड - 11 एवं 17 तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक ग्रेड - 1 (अर्थात् कुल 20 पद) के लिये निम्नानुसार पदनाम एवं वेतनमान स्वीकृत किये जाते हैं :-

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक :12: परिषद् कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार गृह निर्माण, भूखण्ड क्रय, भवन मरम्मत हेतु अग्रिम स्वीकृत बाबत् :

कार्यकारी समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन के नियम ही पालन किये जावे । यह स्वीकृति उस वित्तीय वर्ष में उस मद विशेष में दिये गये वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत दी जावेगी । चूंकि परिषद् के कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान नहीं है अतः परिषद् को यह विशेष ध्यान रखना होगा कि वे ऐसे प्रावधान रखे कि स्वीकृत किये गये अग्रिम की वसूली किसी भी प्रकार से संशय में न रहे ।

कार्यसूची क्रमांक :13: अवकाश यात्रा सुविधा :

कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार राज्य शासन के अनुरूप ही अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

कार्यसूची क्रमांक :14: आवास किराया भत्ता में वृद्धि करने बाबत् :

समिति ने इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा की । समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य सभी शासकीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पात्रता के 2 श्रेणी नीचे के शासकीय आवास को मार्केट रेट के बराबर आवासीय भत्ता स्वीकृत किया जावे, जो कि निम्नानुसार है :

क्रं.	वेतन सीमा	निर्धारित टाइप	पात्रता टाइप	निर्धारित मार्केट रेट प्रतिमाह रू.	कारपेट एरिया वर्ग मीटर में
1.	5999 से अधिक	बी	डी	3370.00	190
2.	5000 से 5999	सी	ई	2040.00	115
3.	4000 से 4999	डी	एफ	1330.00	75
4.	3000 से 3999	ई	जी	890.00	50
5.	2000 से 2999	एफ	एच	710.00	40
6.	2000 से कम	एच	आई	445.00	25

यह स्वीकृति दिनांक 1 जून, 1995 से प्रभावशील होगी ।

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक :15: अर्दली भत्ता स्वीकृत करने बाबत् :

कार्यकारी समिति द्वारा इस विषय में काफी विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा निर्धारित दर अनुसार परिषद् के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को अर्दली भत्ता दिया जावेगा ।

स्वीकृत भत्ता

प्रथम श्रेणी	**द्वितीय श्रेणी**
रू.500 प्रतिमाह	रू. 250/- प्रतिमाह

1. यह भत्ता वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर देय होगा ।
2. यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है अतः यह राशि आयकर के लिए प्राप्ति नहीं है ।

यह भत्ता दिनांक 1 जून, 1995 से प्रभावशील होगा ।

कार्यसूची क्रमांक :16: वाहन भत्ता बढ़ाने बाबत् :

कार्यकारी समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तावित वाहन भत्ता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया :

वाहन प्रकार	**स्वीकृत दर रूपये प्रतिमाह**
कार	रू. 800.00
स्कूटर	रू. 275.00
मोपेड	रू. 150.00
साइकिल एवं अन्य	रू. 75.00

यह दिनांक 1 जून, 1995 से प्रभावशाली रहेगा ।

कार्यसूची क्रमांक :17: यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन :

समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि :

दैनिक यात्रा भत्ता के राज्य शासन द्वारा अनुमोदित दरों को परिषद् में लागू किया जावे ।

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

लॉजिंग भत्ता

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुरूप स्वीकृत किया गया :

स्वीकृत दरें

	राज्य के अंदर	राज्य के बाहर	
	सा/राज.	सा.	महा.
ए	250	400	600
बी	150	300	450
सी	80	150	225
डी	50	100	150

यात्रा पर वाहन भत्ता

	ए	बी	सी	डी
राज्य के अंदर	40	30	25	20
राज्य के बाहर	60	50	40	30
महानगर	100	80	60	50

उक्त सभी भत्ते दिनांक 1 जून, 1995 से प्रभावशाली होंगे ।

कार्यसूची क्रमांक :18: परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति के संबंध में

समिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा यह भी अनुमोदित किया कि इस प्रकार के कार्य के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जा सकता है । समिति द्वारा यह भी कहा गया कि प्रतिपूर्ति पर परिषद् द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है उसकी जानकारी देवे ।

कार्यसूची क्रमांक :19: परिषद् की तीसरी आमसभा की बैठक आयोजित करने बाबत् :

समिति के अनुसार यह विषय कार्यकारी समिति में रखने योग्य न होकर प्रस्ताव शासन को सीधा प्रस्तुत किया जाना उचित होगा ।

अंत में महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् ने बैठक में उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गई ।

.....

6-6-95

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

/अर्चना30595/